

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-11/6133-6136 दिनांक:- 14/08/2014

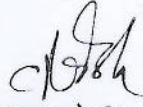
कार्यालय आदेश संख्या 61 /2014-15

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री लालजीराम मीणा, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि 18.03.1970 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 22.06.1995 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, इन्हें द्वितीय ए.सी.पी. दिनांक 22.06.2013 से वेतनमान पे-बैण्ड 9300-34800 एवं ग्रेड-पे 4200/- स्वीकृत किया जाता है एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.14 (88) वित्त (नियम) 2008 जयपुर, दिनांक 05.07.2013 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड-पे 4800/- स्वीकृत किया जाता है।

श्री मीणा, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री मीणा के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है, कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर एसीपी के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री मीणा, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 3600/- में वेतन प्राप्त कर रहे है। विभागीय आदेश संख्या 43/2014-15 दिनांक 14.07.2014 की क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री जगदीश नारायण मीणा की प्रथम कार्यग्रहण तिथि 21.07.1995 एवं द्वितीय एसीपी स्वीकृत तिथि 21.07.2013 के स्थान पर क्रमशः दिनांक 21.06.1995 एवं 21.06.2013 संशोधित की जाती है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-11/6133-6136 दिनांक:- 14/08/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
- 2 श्री..... लेखाकार कार्यालय.....
- 3 निजी सहायक, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


(के0 एम0 मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)